बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– अ०सा०नि०/स्था०17–06/2019 142 पटना, दिनांक: 16-09-2020

कार्यालय आदेश

श्री चन्दन कुमार, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, उप निदेशक(सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) के विरूद्ध उप निदेशक(सां०), पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–74 दिनांक–05.04.2019 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–248 सहपठित ज्ञापांक–1829 दिनांक–25.09.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–165 सहपठित ज्ञापांक–1190 दिनांक–25.06.2019 द्वारा श्री चन्दन कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम –9(1)(क) में किये गये गये प्रावधान के तहत निलंबित किया गया ।

श्री चन्दन कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये:–

(i) श्री चंदन कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक, उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना दिनांक–11.11.2016 एवं दिनांक–12.11.2016 को दो दिनों के आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर कार्यालय से चले गये। उक्त के बाद दिनांक –01.04.2019 तक कार्यालय में अपना योगदान नहीं दिये हैं। इस अवधि में आपके द्वारा दिनांक 31.01.2018 तक उपार्जित अवकाश हेतु अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उक्त अवकाश अभ्यावेदन के साथ दो अलग–अलग चिकित्सक का चिकित्सा परामर्श प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें आपको आराम की सलाह दी गयी है।

(ii) दिनांक–31.01.2018 के उपरांत आपके द्वारा उपार्जित अवकाश हेतु कोई भी अभ्यावेदन उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को समर्पित नहीं किया गया है।

(iii) उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय के ज्ञापांक–105 दिनांक–21.07.2017, ज्ञापांक–138 दिनांक–30.08.2017, ज्ञापांक–201 दिनांक–28.12.2017, ज्ञापांक–153 दिनांक–02.07.2018, ज्ञापांक–191 दिनांक–17.08.2018 एव ज्ञापांक–250 दिनांक–31.12.2018 के द्वारा आपको विभागीय प्रावधानानुसार सरकारी यथा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के चिकित्सीय परामर्श प्रमाण पत्र की मॉग की गयी थी जो आजतक आपके द्वारा उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(iv) सेवापुस्त के अनुसार आपका कुल 117 दिनों का उपार्जित अवकाश देय है। जबकि आप 31.03.2019 तक कुल 870 दिनों तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पटना के पत्रांक–298 दिनांक–23.06.2020 द्वारा समर्पित संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत है :–

"आरोप संख्या–01 –आरोपी पर आरोप है कि दिनांक–11.11.2016 एवं दिनांक–12.11.2016 को दो दिनों के आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर कार्यालय से चले गये। उक्त के बाद दिनांक–01.04.2019 तक कार्यालय में अपना योगदान नहीं दिये हैं। इस अवधि में आरोपी द्वारा दिनांक–31.01.2018 तक उपार्जित अवकाश हेतु अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उक्त अवकाश अभ्यावेदन के साथ दो अलग–अलग चिकित्सक का चिकित्सा परामर्श प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें आरोपी को आराम की सलाह दी गयी है।

साक्ष्य/कागजात के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि आरोपी ने स्वंय स्वीकार किया है कि दिनांक–21.10.2019 के पूर्वाह्न में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान दिया अर्थात आरोपी द्वारा दिनांक–01.04.2019 तक कार्यालय में योगदान नहीं दिया गया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या 01 में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–02 –आरोपी पर आरोप है कि दिनांक–31.01.2018 के उपरान्त उपार्जित अवकाश हेतु कोई भी अभ्यावेदन उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को समर्पित नहीं किया गया है।

साक्ष्य/कागजात के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि अनुपस्थिति के कारणों से सक्षम प्राधिकार को लगातार निबंधित डाक के माध्यम से भेजने का रसीद है। परन्तु ये पत्र कार्यालय को मिला और कार्यालय इससे इंकार किया, ऐसा नहीं हो सकता है। आरोपी द्वारा इतनी लम्बी अवधि में कार्यालय को भेजे गये अनेक पत्रों के कार्यालय तक पहुँचने/नहीं पहुँचने की जानकारी नहीं रखना, इनके संवेदनहीनता हो प्रदर्शित करता है। आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या 02 में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–03 –आरोपी पर आरोप है कि उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय के ज्ञापांक–105 दिनांक–21.07.2017, ज्ञापांक–138 दिनांक–30.08.2017, ज्ञापांक–201 दिनांक–28.12.2017, ज्ञापांक–153 दिनांक–21.07.2018, ज्ञापांक–191 दिनांक–17.08.2018 एवं ज्ञापांक–250 दिनांक–31.12.2018 के द्वारा विभागीय प्रावधानानुसार सरकारी यथा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के चिकित्सीय परामर्श प्रमाण–पत्र की माँग की गयी थी, जो आजतक उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

कि आरोपी श्री चंदन कुमार को उप निदेशक सांख्यिकी पटना के द्वारा सभी पत्र साधारण डाक से भेजा गया है। प्रेषित पत्र श्री चंदन कुमार को प्राप्त हुआ या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है, इसलिये इनको दोषी नहीं माना जा सकता"। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा एक भी पत्र निबंधित डाक या अन्य माध्यम से मुझें नहीं भेजा गया, केवल पत्र तैयार कर अभिलेख में रखा गया, जिसकी सत्यता अभिलेख के अवलोकन से श्रीमान को स्वतः स्पष्ट हो सकता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य साक्ष्य विहीन है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। वे उक्त अवधि में बीमार चल रहे थे, एवं चिकित्सक के देख–रेख में थे, फलतः उन्हें एक भी पत्र उपलब्ध नहीं हो सका। डाकिया द्वारा लिफाफे पर Refused अंकित करना, परिस्थिति जन्य रहा होगा, जिसके लिये उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य का यह मंतव्य देना कि "आरोपी द्वारा इतनी लम्बी अवधि में कार्यालय द्वारा भेजे गये अनेक पत्रों के बारे में जानकारी/संज्ञान नहीं रखना उचित प्रतीत नहीं होता है जो स्वीकार योग्य नहीं है"।

संचालन पदाधिकारी का यह कथन कि "आरोपी को अवकाश स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं इसकी जानकारी रखना/कार्यालय से संपर्क रखना चाहिए था" स्वतः स्पष्ट करता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप का जाँच किस रूप में किया गया है, तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण किस कारण से स्वीकार योग्य नहीं है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी का यह कानूनी दायित्व है कि स्पष्ट कारणों के साथ, स्पष्टीकरण अस्वीकृत किया जाय या स्वीकार किया जाय। परन्तु वर्त्तमान मामले में उनके द्वारा साक्ष्य सहित, मनगढ़ंत आधार पर आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

उनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) का उल्लंघन नहीं किया गया है। वे लम्बी बीमारी के कारण अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे, जिसकी सूचना चिकित्सीय परामर्श के साथ कार्यालय को निबंधित डाक से देते रहे, फिर भी उक्त नियम के उल्लंघन का आरोप लगाना नियमसंगत नहीं है। वे चिकित्सक के परामर्श एवं स्वस्थ होने के उपरांत अपना योगदान दिनांक–21.10.2019 के पूर्वाह्न में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में समर्पित किया एवं तब से वे विभागीय कार्यवाही में भाग लेते रहे।

4. श्री चन्दन कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया था। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उललेख नहीं किया गया है। श्री चंदन कुमार कार्यलय से गैर जिम्मेदारानपूर्वक लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के लिए तथा अपने Controlling Office से बिना कोई सम्पर्क रखे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए दोषी हैं। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चंदन कुमार पर असंचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

साक्ष्य/कागजात के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि आरोपी का कहना है कि उल्लेखित कार्यालय के ज्ञापांक एवं दिनांक जिसके द्वारा पत्र निर्गत हुआ था, मुझे हस्तगत नहीं कराया गया।

यह सही है कि निदेशालय द्वारा भेजा गया पत्र डाकिया द्वारा Refused अंकित करते हुए वापस किया गया है। यानि आरोपी के कोई संबंधी, आरोपी स्वयं या इनको जानने वाला किसी व्यक्ति ने पत्र लेने से इंकार किया हैं। आरोपी द्वारा इतनी लम्बी अवधि में कार्यालय द्वारा भेजे गए अनेक पत्रों के बारे में जानकारी/संज्ञान नहीं रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या 03 में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

<u>आरोप संख्या–04</u> –साक्ष्य/कागजात के परीक्षण से स्पष्ट होता है चूँकि आरोपी भागलपुर में चिकित्सा करा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कटिहार का आवास बंद रहने के कारण किसी के द्वारा पत्र लेने से इंकार करने के कारण डाकिया द्वारा पत्र लौटा दिया गया है। आरोपी द्वारा निदेशक महोदय द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति का अनुपालन अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं की है। परन्तु आरोपी द्वारा इतनी लम्बी अवधि में कार्यालय द्वारा भेजे गए अनेक पत्रों के बारे में जानकारी/संज्ञान नहीं रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को अवकाश स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं इसकी जानकारी रखना/कार्यालय से संपर्क रखना चाहिए था। आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं०–04 में गठित आरोप प्रमाणित होता है।"

3. आरोप प्रमाणित होने का संचालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1581 दिनांक–29.07.2020 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री कुमार ने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि–

वे लंबी बीमारी के हालत में रहने के कारण अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति के कारणों से सक्षम प्राधिकार को लगातार निबंधित डाक के माध्यम से अवगत कराता रहा एवं चिकित्सक के परामर्शोपरान्त छुट्टी अवधि का विस्तारित करने का लगातार निवेदन करने फलस्वरूप आजतक उनके आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है एवं उन पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है जो नियमसंगत नहीं है।

श्री कुमार का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना कारण दर्शाये उनके समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया है, जो नियमसंगत नहीं है।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य में उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि अनुपस्थिति के कारणों से सक्षम प्राधिकार को लगातार निबंधित डाक के माध्यम से भेजने का रसीद है, परन्तु उनके द्वारा यह दर्शाया गया है कि "परन्तु ये पत्र कार्यालय को मिला और कार्यालय इससे इनकार किया ऐसा नहीं हो सकता।" संचालन पदाधिकारी का यह कानूनी दायित्व था कि वह विभागीय अभिलेख मंगवाकर इसकी सत्यता की पुष्टि करते परन्तु उनके द्वारा बिना अभिलेख के अवलोकन कर ऐसा मंतव्य देना स्वीकार योग्य नहीं है। इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य है कि "अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री चन्दन कुमार, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, उप निदेशक(सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14 में किये गये प्रावधानों के तहत असंचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–06/2019 1859 पटना, दिनांकः 16-09-2020

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक (सां०) पटना प्रमंडल, पटना को उनके पत्रांक–74 दिनांक–05.04.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सहायक निदेशक (स्थापना) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री चन्दन कुमार, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, उप निदेशक(सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/09